

बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011

## जिला शिक्षा पदाधिकारी का कार्यालय नालंदा (बिहारशरीफ)

पत्रांक. - BEP/SSA-RTE/PVT School/1122-2011/Part-II-2020/- SSA/86। दिनांक 09-09-2020

संभाल में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

Recognition code- 2020-0014/2020


UNITY INTERNATIONAL SCHOOL . KANCHANPUR BIHARSHARIF NALANDA  
BIHAR 803216

विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनात्र बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय भी प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।  
नहीं साझा,

आपके द्वारा दिये गये आयोगन प्रधान और निरीक्षी पदाधिकारी से इसका जाँच उपरान्त की गयी  
मुरासा के अंत्यार पर 1/पत्रांक 06-09-2020 को निखी विद्यालय प्रस्तीकृति समिति वी वैठक में लिये गये निर्णय के  
अनुसार आपके विद्यालय UNITY INTERNATIONAL SCHOOL . KANCHANPUR . BIHARSHARIF  
NALANDA BIHAR 803216- को कक्ष I से VII; तक संचालन हेतु वर्ष 2020-21 से तीन वर्षों  
की अवधि के निम्न शर्तों के साथ औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाएगी है।  
प्रदत्त प्रस्तीकृति नम्न शर्तों के अधीन होगी:-

- प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्ष 8 तक की सीए। के बाहर मान्य नहीं होगी।
- विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलानक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलानक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
- विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कूल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर दर्द एवं अलाभदारी समूह के बच्चों वा। करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
- कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों वी मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की ग्रतिपूर्ति वी जाएगी। ग्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
- सेसाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे, उसके नामा-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
- विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन में- उसके उप्र प्रमाण पत्र को अनुपालन दर्ता, नामांकन का विस्तारित वर्तमान के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-रशन आदि कारणों द्वारा से किसी एक कारण के आधार पर दंकन नहीं कर सकेगा।
- विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे-  
(क) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी दशा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।  
(ख) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दर्द नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।  
(ग) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी हरने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।  
(घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चे को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।  
(ङ) अधिनियम के प्रावधानों के अल्लोक में विकलांग/विशेष आयश्यकता वाले बच्चों का समायेशन किया जाएगा।  
(च) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर जाएं।  
(छ) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानों रिकाफों के विवरण का नियंत्रण करेंगे।  
(ज) शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रागार वी शिक्षण - अतिविधि में रात्तान नहीं होंगे।

PTO

  
Principal  
Unity International School  
Biharsharif Nalanda

  
10/9/20 Manager  
Unity International School  
Biharsharif Nalanda

- 8 विद्यालय राज्य सरकार द्वारा, निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा को अनुसरण करेगा।
- 9 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं को आनुपातिक रूप से आत्रों का नामांकन करेगा।
- 10 कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिवार में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
- 11 विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा भैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।
- 12 विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू चारूं यों जहां गठित किसी परिवर्तन के नावन से तंचालित होगा।
- 13 विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए तंचालित नहीं होगा।
- 14 लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला कार्यालय को भेजी जाएगी।
- 15 आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या 2020-0014/2020 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
- 16 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के शर्तों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 17 यदि सोसाईटी के निर्वंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- 18 विद्यालय भवन/आपदा सुरक्षा, निःशक्त बच्चों हेतु बाधामुक्त व्यवस्था, रसोईघर एवं बच्चों की मुपत एवं अग्निवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) में शेष निर्धारित मापदंडों को प्रस्वीकृति के एक वर्ष के अन्दर पुरा करेगा एवं संसूचित करेगा।
- 19 अनुलग्नक III के रूप में रखने अन्य शर्तें।
- 20 किसी भी समय संशय/अस्पष्टता/भ्रम की स्थिति में समिति का निर्णय अंतिम होगा जो विद्यालय को मात्र होगा।

9/09/20

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अग्नियान-सह- सचिव  
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, नालन्दा।

झापांक— BEP/SSA-RTE/PVT School/1122-2011/Part-III-2020/- SSA/861 / विहारशरीफ दिनांक 09-09-2020

प्रतिलिपि— जिला शिक्षा पदाधिकारी नालंदा/श्री दृजेश कुमार, हरीय उगसमाहता/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना-शिक्षा) / एम०आई०एस०, प्रभारी, एस०एस०ए०, नालन्दा/संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला-नालंदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

9/09/20

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,  
प्रारंभिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अग्नियान-सह- सचिव  
निजी विद्यालय प्रस्वीकृति समिति, नालन्दा।